What are the various types of donations received by a non-profit ?

संस्था को मिलनेवाले डोनशन या दान के भिन्न प्रकार कौन से है ।

कॉर्पस डोनेशन

साधारण हेतू डोनेशन

मॅचिंग डोनेशन

१. कॉर्पस डोनेशन : ''संग्रह हेतू दान''

संस्था अपने भविष्य के लिये कुछ धन का संग्रह करती है जिसे कॉर्पस फंड कहते है । ये रूपये खर्च करने के लिये नहीं होते इसलिये ये रकम आमदनी में नहीं गिनी जाती ।

कॉर्पस होना ही चाहिये ये जरूरी नहीं है लेकिन अच्छा है । ये इकठ्ठा किया हुआ रूपया संस्था बुरे वक्त में इस्तेमाल कर सकती है । या अगर कुछ फंडिंग आने में देर हुई तो इस्तेमाल कर सकती है ।

कॉपर्स कैसे बनाया जाता है ?

टॅक्स कॉम्प्युटेशन से कॉर्पस बनाया जा सकता है । इसकी जानकारी हम 'टेक्स' के मुद्दे से जोडकर लेंगे । लेकिन एक बात पक्की है की दाता या डोनर की लिखित अनुमती के बजाय पैसे कॉर्पस में नहीं जा सकते ।

जब दाता पैसो देता है तो पैसे के साथ एक ऐसा पत्र आवश्यक है जिसमें दान में से कितना हिस्सा कॉर्पस फंड में जाएगा यह लिखा होगा और यह पत्र पर डोनर के हस्ताक्षर होंगे ।

आप अपनी इच्छा से किसी भी डोनेशन ''कॉर्पस'' में नहीं डाल सकते । कई बार ऐसा होता है की फेब्रुवारी/फरवरी या मार्च में बहुत सारे दाता या डोनर संस्था अपना फंड खर्चा करने के लिये बड़ी रकम डोनेशन देना चाहते है । आप अगर ये रकम कॉर्पस में रखना चाहते है तो डोनर से लिखित पत्र लेना जरूरी है । बहुत सारे डोनर्स या दाता कॉपर्स फंड के लिये रकम नहीं देना चाहते क्योंकि वो अपने पैसे से होनेवाला बदलाव या कार्य देखना चाहते है । ऐसा देखा गया हे की बडी रकम देनेवाले व्यक्ती या कंपनी की सोच का तरीका अलग है । वो कॉर्पस के लिये रकम आसानी से नहीं देते । साधारण व्यक्ती जो ५०००/- या १०,०००/- का दान देता है वो कॉर्पस के लिये दान देने के लिये सहमती देता है । लेकिन ये बात लिखित रूप में होनी चाहिये ।

२) साधारण हेतू डोनेशन / दान

इसमें दाता या डोनर संस्था को आपकी संस्था का कार्य सही लगने के कारण तो संस्था को डोनेशन/चंदा देते है / ये रकम आप अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर सकते हो / ये व्यवस्थापन के लिये खर्च कर सकते हो और प्रकल्प चलाने में भी इस्तेमाल कर सकते हो ।

३) ''निश्चित हेतू'' के लिये दिया हुवा दान :

अगर आपकी संस्था बहुत सारे प्रकल्प/कार्यक्रम कर रही है लेकिन दाता को इनमें एक कार्य में रूची है । इसमें एक प्रकल्प के लिये दाता डोनेशन देना चाहते है तो ऐसे दान को ''निश्चित हेतू'' के लिये दिया हुवा दान माना जाता है । अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहे है । लडके और लडकियाँ आपके कार्यक्रम का लाभ उठा रही है । लेकिन दाता को सिर्फ लडकीयों की शिक्षा हेतू दान देना है । तो ऐसा हो सकता है की ऐसे दाता ने दिया हुवा रूपया सिर्फ लडकीयों के लिये खर्च किया जायेगा ।

किसी दाता ने संस्था को १,००,०००/- रूपये दिये है । तो दाता यह कह सकता है की इस साल में दस लडकीयों को प्रती रू. १०,०००/- छात्रावृत्ती देना / और दाता यह भी कह सकता है की यह रु. १,००,०००/- अपने कॉर्पस फंड में रखो और उसके ब्याज से हल साल रू. १,०००/- प्रती छात्रा ऐसी दस छात्राओं को हर साल छात्रवृत्ती दो ।

''निश्चित हेतू'' से दिया हुवा दान कॉर्पस, कार्यक्रम से जुडा हुवा या साधारण हेतू दिया हुवा हो सकता है ।

आजकल बहुत सारी दाता संस्थाऐं ''मॅचिंग'' पद्धती से डोनेशन देती है । ऐसे समय संस्था की विश्वसनीयता और क्षमता की परीक्षा होती है । दाता ऐसे कहते है की अगर आपका कार्यक्रम १० लाख का है तो हम ५०/ चंदा देंगे और ५०/ आप अपने जनसंपर्क से जमा करो । विदेशी संस्थाए कई बार संस्था को १०/ से २०/ रूपये अपने बल पर जमा करने को कहते है ।